5000Rs.

बिक्रय-पत्र

राकेश शुक्ला पुत्र स्व0 श्री एम0 पी0 शुक्ला निवासी ए- 804, एच0ए0 एल0 कालोनी लखनऊ।

-- प्रथमपक्ष ﴾ बिक्रेता ﴿

एवम्

राजकीय कोषागार, लखनऊ
दिनांक 18/2/95
मूल्य 10000 जनरल स्टाम्प
नाम रशीदा हाशमी
द्वारा पी० एम० शुक्ला स्टैम्प —
असि० कैशियर चीफ कैशियर

स्टै० - 100000/-
भार 159,104/-
51/ 3 [illegible] रु० अक्षरमात्र

श्री राकेश शुक्ला पुत्र श्री राम [illegible] शुक्ला
नौकरी A-204 [illegible] कालोनी लखनऊ

2/3/95 192

3229
15/2/95
[illegible] से प्रस्तुत किया

[illegible]
2/3/95

100000/- [illegible]
[illegible] राकेश शुक्ला एवं श्रीमती रशीदा हाशमी प०
श्री [illegible] अहमद हाशमी पेशा गृहणी नि० 103 शाहरा
अली गंज [illegible] इलाहाबाद ने भी स्वीकार किया /

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY
18 FEB 1995
T.O./C.T.O
Lucknow Collectorate

5000Rs.

श्रीमती रशीदा हाशमी पत्नी श्री आफताब अहमद हाशमी

निवासी 103 शाहनूर अली गंज, शहर इलाहाबाद ।

-- द्वितीयपक्ष ﴾ क्रेता ﴿

जो कि प्रथमपक्ष ﴾ बिक्रेता ﴿ मालिक कामिल व

काबिज एक किता भवन संख्या डी- 55/1 रकबा 61·89 वर्ग मीटर

यानी कि 665·94 छः सौ पैंसठ दशमलव नौ चार वर्ग फुट -

महद्दुदा जेल स्थित इन्दिरा नगर वार्ड इन्दिरा नगर , शहर -

लखनऊ का है। उक्त भवन को उ0 प्र0 आवास एंव विकास परिषद

लखनऊ से प्रथमपक्ष ने बजरिये पटटा विलेख एंव विक्रय विलेख दिनांक

राजकोष कोषागार, लखनऊ
दिनांक 10/2/95
मूल्य 5000 जनरल स्टाम्प
नाम रशीदा हाशमी
द्वारा पी० एन० गुप्ता एडवोकेट
असि० कैशियर चीफ कैशियर

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY
18 FEB 1995
T.O./C.T.O.
Lucknow Collectorate

आफताब अहमद हाशमी
शमशुल हुदा हाशमी पेशा नौकरी
103 शाहगंज अलीगंज इलाहाबाद
पी० एन० गुप्ता एडवोकेट
लखनऊ।

2/3/95

Rasheeda Hashmi

2/3/95

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

24:1:1995ई0 को प्राप्त किया हैजो दफ्तर सब रजिस्ट्रार लखनऊ में दिनांक 31:1:1995ई0 को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया गया तथा जो पटटा विलेख दिनांक 1:2:1995ई0 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या प्रथम खन्ड 2775 के पृष्ठ 263/282 पर क्रम संख्या 540 एंव बिक्रय विलेख दिनांक 1:2:1995ई0 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या प्रथम खन्ड 2775 के पृष्ठ 283/304 पर क्रम संख्या 541 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। उक्त भवन प्रथमपक्ष के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद हैऔर जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात - मिस्ल रेहन व बय व हिबा व जमानत व मुकदमा आदि से बिलकुल

Rasheeda Hashmi

राजकीय कोषागार, लखनऊ

दिनांक 18/2/95

मूल्य [illegible] जनरल स्टाम्प

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

असि० कैशियर चीफ कैशियर

4868

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY
18 FEB 1995
T.O./C.T.O.
Lucknow Collectorate

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

बरी व पाक साफ है। अब प्रथमपक्ष (बिक्रेता) अपनी राजी खुशी से - खूब सोच व समझ कर बिनादबाव नाजायज किसी के बदुरूस्ती होश - हवास में बजरूरत खुद के उसी भवन नम्बरी व रकबा उपरोक्त को - मय जुमला हकूक मुतालिकात उसके बिना छोड़े किसी चीज व हक व जुज के बिलएवज मुबलिग 1,00,000/ -रूपया एक लाख रूपया कि - आधे जिसके मुबलिग 50,000/ -रूपया पचास हजार रूपया होते हैं में - श्रीमती रशीदा हाशमी द्वितीयपक्ष (क्रेता) के बय कतई किया और कुल बिक्रय मूल्य कब्ल तहरीर दस्तावेज बयनामा हाजा उपरोक्त - द्वितीयपक्ष से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना भवन उपरोक्त

Rasheeda Hashmi

राजकोष कोषागार, लखनऊ
दिनांक 18/2/95
मूल्य 5000 जनरल स्टाम्प
नाम यशोदा शास्त्री
द्वारा पी एम दुबे एडवो
असि० कैशियर चीफ कैशियर

ISSUED FROM
LUCKNOW TREASURY
18 FEB 1995
T O./C.T.O.
Lucknow Collectorate

1000Rs.

पर आज की तारीख से उपरोक्त द्वितीयपक्ष का वाकई बखूबी करा दिया है। अब प्रथमपक्ष (बिक्रेता) व उसके वारिसान का कोई - दावा व हक बाबत जायदाद मुबैया व जर समन के उपरोक्त - द्वितीयपक्ष से बाकी नहीं रहा । अगर कोई शख्स दावा करे तो - वह बिलकुल नाजायज होवे।

यह कि अगर किसी की दावेदारी व हकदारी व उजरदारी से जायदाद मुबैया कुल या जुज कब्जा उपरोक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से किसी समय में निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं रेहन -

Rasheeda Hashmi

[illegible] लखनऊ

दिनांक 18/7/95

मूल्य 10000 का स्टाम्प

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

असि० कैशियर चीफ कैशियर

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रू. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

व क्रय व हिबा आदि निकले या और कोई कानूनी झगड़ा बाबत - हकीयत व मिलकियत के पैदा होवै तो ऐसी दशा में उपरोक्त - द्वितीयपक्ष को पूरा हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर तमन मय हरजा खरचा व नुकसान सब प्रथमपक्ष व उसके वारिसान सेतथा उसकी जात खास व दीगर हर प्रकार की जायदाद चल व अचल से - बजरिये अदालत वसूल कर लेवैं । कुछ उजर न होगा ।

यह कि उक्त भवन के भूमि का मूल्य उ0 प्र0 आवास एंव विकास परिषद द्वारा 1170/-रूपयाप्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है जिसके हिसाब से मालियत मु072,412/-रूपयाहोती है तथा जायदाद

Rasheeda Hashmi

राजकीय [illegible], [illegible]
दिनांक 10/2/95
मूल्य 10000 [illegible] स्टाम्प
नाम [illegible]
द्वारा [illegible]
असि० कैशियर चीफ कैशियर

LUC[illegible]
Lucknow

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

की निर्माण लागम परिषद द्वारा 65,375/-रुपया निर्धारित है

इस प्रकार से जुमला मालियत मु0 1,38,387/-रुपयाहोती है।

यह कि जायदाद मुबैया तीस फुट से कम चौड़े मार्गपर स्थित है जिसकी भूमि का मूल्य जिलाधिकारी लखनऊद्वारा 140/-रुपयाप्रति - फुट की दर से निर्धारित हैजिसके हिसाब से मालियत मु093,232/- रुपयाहोती है तथा जायदाद मुबैया में 250 वर्ग फुट पर अमला दस साल पुराना तामीर है जिसकी निर्माण लागत 65,875/- रुपया है । इस प्रकार से कुल मालियत मु0 1,59,107/-रुपया होती है।

Rasheeda Hashmi

राजकीय कोषागार, लखनऊ

दिनांक 10/1/95

मूल्य 1000/- जनरल स्टाम्प

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

असि० कैशियर चीफ कैशियर

[illegible] CKNOW [illegible]

18 FEB [illegible]

T.O./C.T.O.

Lucknow Collectorate

100 Rs.

यहकि जायदाद मुबैया का वार्षिक मूल्य लखनऊ नगर निगम द्वारा निर्धारित नहीं है और न ही कोई आमदनी किराया है अनुमानित किराया अधिक से अधिक 4800/-रुपया सालाना हो - सकता है जिसके 25 गुने से मालियत मु0 1,20,000/-रुपया होती है।

यहकि बिक्रय से मालियत अधिक है इसलिये स्टाम्प ड्यूटी मालियत पर मु0 23,130/-रुपया की अदा की जा रही है।

यहकि उक्त भवन के बेचने की बाबत उ0 प्र0 आवास एंव विकास परिषद से बिक्रय अनुज्ञा आवास आयुक्त के पत्र संख्या

Rasheeda Hashmi

राजकीय कोषागार, लखनऊ

दिनांक 18/12/95

मूल्य 10/- जनरल स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

असि० कैशियर चीफ कैशियर

2073/सं0 प्र0-3 दिनांक 22:9:1993ई0 के द्वारा प्राप्त करने की

आवश्यकता नहीं है।

यह कि उक्त भवन के बेचने की बाबत विक्रय अनुज्ञा सीलिंग -

श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण लखनऊ से बजरिये -

पत्र संख्या 3229 दिनांक 15:2:1995ई0 हासिल कर लिया है।

यह कि उक्त भवन के बेचने की बाबत क्रेता व विक्रेता के मध्य

इकरारनामा बय नहींहुआ है।

Rasheeda Hashmi

--10पर

क्र० सं० 10439 18/12/95

कीमत 10/- नाम रशीदा हाशमी पत्नी स्व० ए० हाशमी

पता इन्दिरा नगर, लख०

मार्फत

कुंवर विमलेश कुमार

[illegible] नं० 17 तहसील लखनऊ

10 Rs.

चौहद्दी भवन बिक्री शुदा उपरोक्त:

पूरब : टायलेट,

पश्चिम: रोड 9 मीटर चौड़ी।

उत्तर: भवन संख्या डी-53/4,

Rasheeda Hashmi

क्र० सं० 10440 ता० 18/2/95

कीमत 10 नाम श्रीमती शर्मा पत्नी श्री ए. ए. शर्मा

पता इन्दिरानगर लखनऊ

मार्फत

कुंवर विमलेश कुमार

[illegible] नं० 17 तहसील लखनऊ

10 Rs.

:11:

दक्षिण:भवन संख्या डी-55/4,

लखनऊदिनांक:
21:2:1995ई0।

गवाह1: (A.A. Hashmi) D-55/1 Sudamapuri, Lko

गवाह2: (P.N. GUPTA) Adv. Lko

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
Rasheeda Hashmi

टाईपकर्ता:
RamMurti Singh
राममूर्तिसिंह,
तहसील, लखनऊ।

मसविदाकर्ता
पी0एन0गुप्त,
एडवोकेट

क्र० सं० 10441 ता० 10/7/15

कीमत 10/- नाम रशीदा हाशमी पत्नी श्री एच० ए० हाशमी

पता इन्दिरा नगर

मार्फत

कुंवर विमलेश कुमार

स्टाम्प विक्रेता लै० नं० 17 तहसील लखनऊ

4/3/05

2007

11:24